[2021] 9 एस. सी. आर. 643

परवीन @सोनू

बानाम

हरियाणा राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1571)

07 दिसंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 एस. एस. 224 , 225 , 332 , 353 , 302 आर/डब्ल्यू एस। 120 - बी-अभियोजन का मामला कि पुलिस दल चार अभियुक्तों को ले जा रहा था

षडचंत्र का, एस के दायरे में। 120 - बी, यह स्थापित करना आवश्यक है कि एक करने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता था गैरकानूनी कार्य-वर्तमान मामले में, अस्पष्ट और गंजे बयान को छोड़कर कि अपीलार्थी कथित साजिश का सदस्य है, यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि अपीलार्थी ने उन अपराधों के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ साजिश रची, जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।

किसी भी अन्य पुष्टिकारक साक्षय के अभाव में सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान, अपीलार्थी की अभिलिखित दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखने के लिए सुरक्षित नहीं हैं और निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी पर लगाई गई सजा और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, खारिज कर दिया गया-मुक्त शस्त्र अधिनियम - एस. 25.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने
पकड़ना: 1. पीडब्लू-20 (सिपाही जो चश्मदीद गवाह है)

अपीलार्थी/अभियुक्त का नाम उसके बयान में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से अपीलार्थी को दोषी ठहराया है।

पीडब्लू-20, पीडब्लू-22 (कांस्टेबल जिन्होंने पीडब्लू-20 के बयान की पुष्टि की) और पीडब्लू-23 (उप-निरीक्षक जिन्होंने बयान दर्ज किया) की चिकित्सा रिपोर्ट और बयानों पर भरोसा करते हुए

पीडब्लू-20)। यहां तक कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, केवल चार आरोपी ट्रेन में घुसे और उनमें से एक, जिसकी पहचान विनोद के रूप में हुई थी, ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर

फेंका था और अन्य आरोपी अमरजीत ने हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह पर गोली चला दी थी। पीडब्लू-20 की प्रतिपरीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि 643 [2021] 9 एस. सी. आर. थे।

डिब्बे में 50-60 यात्रियों के बारे में, लेकिन किसी की जांच नहीं की गई। यहां तक कि पीडब्लू-22 ने भी केवल विनोद और अमरजीत सिंह के नामों का खुलासा किया। इस अस्पष्ट और गंजे बयान के अलावा कि अपीलार्थी यहाँ कथित साजिश का सदस्य है, कोई अन्य बयान नहीं है।

षड्यंत्र साबित करने के लिए अभिलेख पर स्वीकार्य साक्षय। अज्ञात कारणों से, इस तरह के मामले में, जांच एजेंसी ने टी. आई. पी. (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड) का आयोजन नहीं किया है। अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि अपीलार्थी पर आपराधिक मामले No.535 में बोलेरो कार छीनने के लिए मुकदमा चलाया गया था। 2009 एच. सी. एस., न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिवानी के न्यायालय में, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 392,216 आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत अपराधों के आरोप से बरी कर दिया गया और उक्त निर्णय अंतिम हो गया है। साजिश के आरोप को साबित करने के लिए, धारा 120-बी के दायरे में, यह स्थापित करना आवश्यक है कि एक गैरकानूनी कार्य करने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता था। साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष साक्षय द्वारा साजिश को स्थापित करना बिल्कुल भी मुश्किल है, लेकिन साथ ही, किसी अवैध कार्य को करने के इच्छित उद्देश्य के लिए साजिशकर्ताओं के बीच मन की बैठक दिखाने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में, किसी व्यक्ति को आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। यहाँ कुछ अंश और वहाँ कुछ अंश जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, अभियुक्त को आपराधिक साजिश के अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि सह-अभियुक्त के कथित इकबालिया बयान भी, अन्य स्वीकार्य पुष्टि करने वाले सबूतों के अभाव में, अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए सुरक्षित नहीं हैं। अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है, कि अपीलार्थी ने उन अपराधों के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ साजिश रची, जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। सह-अभियुक्त के कथित इकबालिया बयानों के अलावा और किसी अन्य पुष्टिकारक साक्षय के अभाव में, अपीलार्थी पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखना सुरक्षित नहीं है। निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी को मुख्य रूप से इस आधार पर दोषी ठहराते हुए दर्ज किए गए निष्कर्ष कि वह विचाराधीन अपराध के साजिशकर्ताओं में से एक था, गलत और अवैध है। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्षय पर उचित परिप्रेक्षय में विचार नहीं किया है और अपीलार्थी पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की गलती से पुष्टि की है। अभिलिखित दोषसिद्धि और अपीलार्थी पर अधिरोपित सजा है -

उसे अलग कर दिया जाता है और वह उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है। [पारस 10,11,12,14 और 15] [648-जी-एच; 649-बी-एच; 651-सी-ई] परवीन @सोनू बनाम।

कर्नाटक का, (2013) 14 एस. सी. सी. 729: 2013 (6) स्केल

652 - पर भरोसा किया।

फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन और अन्य बनाम। केरल राज्य

(2001) 7 एससीसी 596: 2001 ए. आई. आर. 3488; राजू मांझी बनाम। बिहार राज्य (2019) 12 एससीसी 784: 2018 एयर 3592 -

अप्रयोज्य रखा गया।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 7 एससीआर 1083

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का No.1571।

उच्च न्यायालय के 17.03.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 (ओ एंड एम) के सी. आर. ए.-डी. No.232-डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से।

ऋषि मल्होत्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री बांसुरी स्वराज, अतिरिक्त निदेशक। ए. जी., सिद्धेश कोतवाल, सुश्री एना

उपाध्याय, सुश्री प्रज्ञा बरसैयां, सुश्री मान्या हसीजा, आकाश सिंह, विश्व पाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सुश्री पल्लवी, बृजेंद्र सिंह ढुल, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 17 मार्च के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

2020 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के सी. आर. ए.-डी. No.232 में पारित किया गया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा है।

3. संक्षेप में, मामले के तथ्य, जैसा कि मामले से कहा गया है

अभियोजन पक्ष के, निम्नानुसार हैं।

14.03.2009 पर, पुलिस दल चार अभियुक्तों को एस्कॉर्ट कर रहा था, अर्थात्

केंद्रीय जेल, जयपुर से नदीम, नौशाद, रवि और सुनील को सीजेएम, भिवानी की अदालत में पेश किया जाना था। वे पहुँच गए।

रेलवे स्टेशन रेवाड़ी, सुबह 04 बजे: 30 घंटे। इसके बाद वे [2021] 9 एस. सी. आर. में सवार हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भिवानी के लिए ट्रेन। जब ट्रेन रेलवे स्टेशन नंगल पठानी पहुंची, तो चार युवा लड़के उनके डिब्बे में घुस गए और पुलिस दल पर हमला कर दिया ताकि उन अभियुक्तों को बचाया जा सके, जो पुलिस हिरासत में थे और जिन्हें सीजेएम, भिवानी की अदालत में पेश किया जाना था। हिरासत में रखे गए अभियुक्तों ने भी भागने की कोशिश की। उन्होंने आधिकारिक कार्बाइन छीनने की भी कोशिश की। आरोप है कि एक आरोपी ने हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह पर गोली चला दी। शिकायत में कहा गया था कि पुलिस ने एक व्यक्ति को काबू कर लिया, जिसने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका था और शेष तीन आरोपी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपी ने अपने नाम और अन्य हमलावरों की पहचान का खुलासा किया। घायल हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जिन्होंने बाद में गोली लगने से दम तोड़ दिया। जाँच पूरी करने के बाद, सभी अभियुक्तों पर आई. पी. सी. की धारा 224,225,332,353,392,307,302,120-बी और आई. पी. सी. की धारा <आई. डी. 1 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

शस्त्र अधिनियम।

4. अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष की जाँच इस प्रकार की गई

शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया। सजा की मात्रा पर दिनांक 1 के आदेश द्वारा, उन्हें ऊपर उल्लिखित अन्य अपराधों के लिए दोषसिद्धि के अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत अपराधों के लिए 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। विभिन्न अपराधों के लिए सजा को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। 5. सत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सुनाई गई सजा के फैसले से व्यथित, अपीलार्थी और चार अन्य अभियुक्तों ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपीलें की हैं। सभी अपीलों को सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए दिनांक 1 के सामान्य निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए यह अपील।

परवीन @सोनू वी. हरियाणा राज्य

[आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

6. तीसरा अभियुक्त परवीन @सोनू वर्तमान में अपीलार्थी है।

अपील करें। हमें सूचित किया गया कि उच्च न्यायालय के सामान्य फैसले में अन्य अभियुक्तों द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ऋषि मल्होत्रा और विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता सुश्री बांसुरी स्वराज को सुना है। एजी उपस्थित हो रहे हैं प्रत्यर्थी के लिए-हरियाणा राज्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

8. इस अपील में, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि हालांकि इसे स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था

ट्रेन में चढ़ने वाले युवा लड़कों में से केवल एक के पास देसी पिस्तौल थी और उसने गोली चलाई थी। कोई टी. आई. पी. (परीक्षण पहचान परेड) आयोजित नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार गिरफ्तार किया गया आरोपी केवल विनोद था और अन्य सभी तीन व्यक्ति भाग गए। लेकिन दूसरा व्यक्ति बताया जाता है कि जिसकी पहचान की गई है, वह अमरजीत था जिसने हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह पर गोली चलाई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि

अपीलार्थी/अभियुक्त को जोड़ने के लिए बिल्कुल कोई सबूत नहीं था, लेकिन निचली अदालत ने अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए किसी भी स्वीकार्य सबूत के अभाव में अपीलार्थी को दोषी ठहराया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा, उच्च न्यायालय ने भी इस पर विचार नहीं किया है

9. दूसरी ओर, ए. डी. एल. सीखा। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित ए. जी.-राज्य ने नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया। उसने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री और सबूत हैं जो स्पष्ट रूप से उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्थापित करते हैं। यह. 1 1 (2015) 11 एस. सी. सी 31

2 (2013) 14 एससीसी 729 [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तुत किया जाता है कि रिकॉर्ड पर विश्वसनीय सबूत उपलब्ध थे

उनका मानना है कि अपीलकर्ता अभियुक्त समूह का एक पक्ष था, जिसने अन्य चार अभियुक्तों को बचाने के लिए मिलकर साजिश रची, जिन्हें पुलिस पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। आपराधिक साजिश के अभियोजन के मामले को साबित करने के लिए अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने फिरोजुद्दीन के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है

बशीरुद्दीन और अन्य बनाम। केरल राज्य 3. इसके अलावा, सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों के पहलू पर, राजू मांझी बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। बिहार राज्य 1.

10. दोनों पक्षों की विद्वानों की सलाह सुनने के बाद, हमने तथ्यों और परिस्थितियों पर विचारपूर्वक विचार किया है। मामला और अभिलेख पर रखी गई सामग्री। हमने विभिन्न गवाहों के बयानों का भी अध्ययन किया है जो रिकॉर्ड में रखे गए हैं। मामले को साबित करने के लिए,

बयान में, उन्होंने विनोद नाम के अन्य आरोपी के प्रकटीकरण बयान का उल्लेख किया है, जिसे Ex.PS के रूप में प्रदर्शित किया गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने गवाही दी है कि कई व्यक्ति घटना स्थल पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जांच में शामिल होने या उससे

जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। पीडब्लू-16 ए. एस. आई. ए. जी. टी. सिंह है, जिसने यह बयान दिया है कि आरोपी सुनील उर्फ बच्चू ने एक खुलासा बयान दिया था। पीडब्लू-18 उप-निरीक्षक है। प्रताप सिंह, जिन्होंने इसे 11.05.2009 पर बयान दिया है, ने कहा है कि उन्होंने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ आरोपी अमरजीत उर्फ दाना और सुरेंद्र उर्फ दत्तू को गिरफ्तार किया है। उन्होंने आरोपी अमरजीत द्वारा दिए गए खुलासा बयान का हवाला दिया। पीडब्लू-20 कांस्टेबल इंदर राज हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं। अपने बयान में, उन्होंने कहा है कि जब ट्रेन रेलवे स्टेशन, नंगल पठानी पहुंची, तो लगभग 20-25 वर्ष की आयु के चार लड़के उनके डिब्बे में घुस गए और उनमें से एक पॉलीथीन बैग ले जा रहा था और दूसरा देसी पिस्तौल से लैस था। उसने भी बयान दिया है कि पकड़ा गया आरोपी विनोद था और उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका था और अमरजीत पर आरोप लगाया, जिसने गोली चलाई थी।

अर्जुन सिंह, हेड कांस्टेबल। जिरह में, उन्होंने अपदस्थ किया कि डिब्बे में उतने ही 50-60 यात्री थे। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-20 इंदर राज ने अपने बयान में अपीलार्थी/आरोपी यानी परवीन @सोनू का नाम नहीं लिया है। पीडब्लू-22 सतबीर नाम का एक और सिपाही है, जिसने बयान की पुष्टि की है।

3 3 (2001) 7 एस. सी. सी 596

4 (2019) 12 एस. सी. सी. 784 परवीन @सोनू बनाम।

हरियाणा राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

पीडब्लू-20। उसने भी बयान दिया है कि आरोपी विनोद ने उन पर मिर्च पाउडर फेंका था और अमरजीत नाम के अन्य अभियुक्तों ने हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह पर गोली चलाई थी। पीडब्लू-23 सब-इंस्पेक्टर रणधीर सिंह हैं, जिन्होंने यह बयान दिया कि 14.03.2009 पर उन्होंने कांस्टेबल इंदर राज का बयान दर्ज किया।

11. निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया है

इसमें, मुख्य रूप से पीडब्लू-20, पीडब्लू-22 और पीडब्लू-23 की चिकित्सा रिपोर्टों और बयानों पर भरोसा किया जाता है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, केवल चार आरोपी ट्रेन में घुसे हैं और उनमें से एक, जिसकी पहचान विनोद के रूप में हुई थी, ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका था और अन्य आरोपी अमरजीत ने हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह पर गोली चला दी थी। पीडब्लू-20 की प्रतिपरीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि डिब्बे में लगभग 50-60 यात्री थे, लेकिन किसी की जांच नहीं की गई। यहां तक कि

पीडब्लू-22 कांस्टेबल सतबीर, जिन्होंने पीडब्लू 20 के बयान की पुष्टि की है, ने केवल विनोद और अमरजीत सिंह के नामों का खुलासा किया। इस अस्पष्ट और गंजे बयान के अलावा कि अपीलार्थी कथित साजिश का सदस्य है, साजिश को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य स्वीकार्य सबूत नहीं है। अज्ञात कारणों से, इस तरह के मामले में, जांच एजेंसी ने टी. आई. पी. (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड) का आयोजन नहीं किया है। सह-अभियुक्त के कथित इकबालिया बयानों के अलावा, अपीलार्थी को फंसाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है। यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अपीलार्थी पर छीनने के लिए मुकदमा चलाया गया था

अवैध कार्य करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। यहाँ कुछ अंश और वहाँ कुछ अंश जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, अभियुक्त को आपराधिक अपराध के साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। षडचंत्र। यहां तक कि सह-अभियुक्त के कथित इकबालिया बयान, अन्य स्वीकार्य पुष्टिकारक सबूतों के अभाव में, [2021] 9 एस. सी. आर. के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त को दोषी ठहराएँ। इंद्र दलाल बनाम के मामले में। की स्थिति हरियाणा 1, इस न्यायालय ने केवल के आधार पर दोषसिद्धि पर विचार किया है

अपराध में प्रयुक्त वाहन का इकबालिया बयान और बरामदगी। उक्त मामले में, दोषसिद्धि को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 16 और 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

" 16. उपरोक्त प्रावधान के पीछे का दर्शन एक कठोर वास्तविकता की स्वीकृति है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और यातना या यहां तक कि प्रलोभन का अभ्यास करके स्वीकारोक्ति की वसूली की जाती है और इसलिए, वे किसी भी विश्वास के योग्य नहीं हैं। यह प्रावधान अभियुक्त के खिलाफ सबूत से उसके द्वारा एक पुलिस अधिकारी के सामने किए गए कबूलनामे को पूरी तरह से बाहर करता है। यह प्रावधान उन लोगों पर भी लागू होता है जो

एक पुलिस अधिकारी के सामने किए गए इकबालिया बयान जो नहीं भी हो सकते हैं

अन्यथा इस तरह से व्यवहार करें। यदि वह एक पुलिस अधिकारी है और उसकी उपस्थिति में स्वीकारोक्ति दी गई थी, तो जो भी क्षमता हो, वह सबूत में अस्वीकार्य हो जाता है।

यह इस प्रावधान के तहत निहित कानून का मूल नियम है और इस सख्त नियम को इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों द्वारा भी दोहराया गया है।

17. "स्वीकारोक्ति" शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, अदालतों ने शब्दकोश का सहारा लिया है
अर्थ और समझाया कि आरोपी द्वारा पुलिस को दिए गए आपत्तिजनक बयान के निष्कर्ष का सुझाव देते हुए

अपराध करना स्वीकारोक्ति होगी और इसलिए, इस प्रावधान के तहत अस्वीकार्य है। इसे अपराध की प्रत्यक्ष स्वीकृति के रूप में भी परिभाषित किया गया है न कि किसी भी दोषपूर्ण तथ्य की स्वीकृति, चाहे वह कितना भी गंभीर या गंभीर क्यों न हो।

निर्णायक। साक्षय अधिनियम की धारा 26 उन सभी स्वीकारोक्ति को अस्वीकार्य बनाती है जब वे किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं,
जब तक वह एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, जब तक कि इस तरह का स्वीकारोक्ति किसी की तत्काल उपस्थिति में नहीं की जाती है।

मजिस्ट्रेट। इसलिए, जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है, तो उसके द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को भी किया गया इकबालिया बयान, अर्थात,

एक पुलिस अधिकारी के अलावा, भी अस्वीकार्य हो जाएगा।

13. इसके अलावा, उप्पा उर्फ मंजूनाथ बनाम के मामले में। कर्नाटक राज्य 2, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब किसी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि केवल प्रवीण @सोनू बनाम के विश्लेषण पर ठोस कारण देने की स्थिति में ही उचित है।

भौतिक साक्षय। हाथ में मामले में, उच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि बयानों को संदर्भित करने के अलावा, उच्च न्यायालय ने सबूत पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और दोषसिद्धि की पुष्टि की है और

विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित दंडादेश। विद्वान अतिरिक्त द्वारा निर्णयों पर भरोसा किया गया। फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन और अन्य के मामले में ए. जी.

वी. केरल राज्य 3 और राजू मांझी बनाम। बिहार राज्य, मामले के तथ्यों और अभिलेख पर साक्षय को ध्यान में रखते हुए अभियोजन के मामले का समर्थन करने में सहायक नहीं है।
14. अभिलेख पर साक्षय की बारीकी से जांच करने पर, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है, कि इसमें अपीलार्थी ने उन अपराधों के लिए अन्य

अभियुक्तों के साथ साजिश रची है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। सह-अभियुक्त के कथित इकबालिया बयानों को छोड़कर और किसी अन्य पुष्टिकारक साक्षय के अभाव में, अभियुक्त पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखना सुरक्षित नहीं है।

अपीलार्थी। निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी को मुख्य रूप से इस आधार पर दोषी ठहराते हुए दर्ज किए गए निष्कर्ष कि वह विचाराधीन अपराध के साजिशकर्ताओं में से एक था, गलत और अवैध है। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्षय पर उचित परिप्रेक्षय में विचार नहीं किया है और अपीलार्थी पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की गलती से पुष्टि की है।

15. उपरोक्त कारणों से, इस अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलार्थी पर अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है और उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। अपीलार्थी को तुरंत रिहा कर दिया जाए, जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में उसकी अभिरक्षा की आवश्यकता न हो।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे